न्यायालय में, श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश.

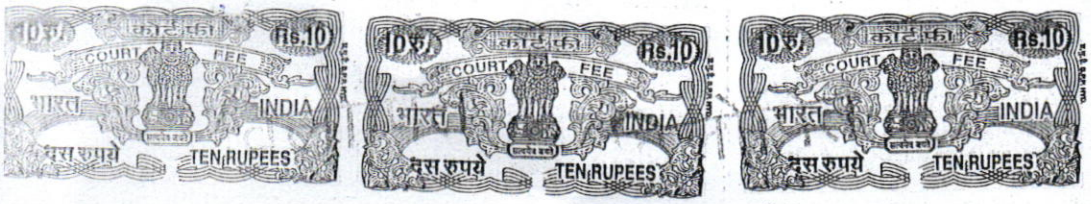

हीरालाल तिवारी उम्र लगभग 38 वर्ष पिता श्री भोले प्रसाद तिवारी,
निवासी ग्राम उमरी, तह0 सिरमौर,जिला–रीवा(म.प्र.) …………आवेदक/पुनरावेदक

बनाम

1. रामकृपाल तिवारी उम्र लगभग 80 वर्ष पेंशन भोगी एवं कृषक,
2. चन्द्रशेखर तिवारी उम्र लगभग 62 वर्ष पेंशन भोगी एवं कृषक,

दोनो पिता रामाधीन वितारी

3. अरूण तिवारी उम्र वयस्क पिता भोले प्रसाद तिवारी,
4. तरूण तिवारी वयस्क पिता भोले प्रसाद तिवारी,

सभी निवासी ग्राम उमरी, तह0 सिरमौर,जिला–रीवा(म.प्र.)

………अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के रिट पिटीशन नं. 2694/16 में प्रदान किये गये आदेश दिनांक 19.02.2016 के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 3337–2/15 जिला रीवा में दिनांक 27.11.2015 पर पुनर्विलोकन याचिका ।

मान्यवर,

आवेदक /पुनरावेदक माननीय उच्च न्यायालय के उक्त याचिका क्रमांक 2694/2016 में प्रदान किये गये आदेश के अनुसार उक्त प्ररकण में यह रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत कर विनय करता है कि :–

1. यह कि माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर संभाग रीवा के समक्ष रामकृपाल तिवारी एवं चन्द्रशेखर तिवारी दोनों पिता रामाधीन तिवारी, दोनों निवासी ग्राम उमरी की ओर से याची एवं प्रतियाची अरूण तिवारी तथा तरूण तिवारी के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु दिनांक 13.10.2015 को प्रस्तुत किये थे जिसमें पुनरावेदक गैर निगराकार क्र.1 के रूप में तथा अरूण तिवारी एवं तरूण तिवारी गैर निगराकार क्र.2 एवं 3 के रूप में रहे हैं।
2. यह कि रामकृपाल तिवारी एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रकरण क्र.3337–2/15 जिला–रीवा के रूप में पंजीबद्ध होकर सुनवाई में लिया गया था और उक्त निगरानी प्रकरण में दिनांक 27.11.2015 को अन्तिम आदेश प्रदान किया गया था।

क्रमशः…..2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1389–दो/16 जिला– रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–17	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक अनुपस्थित उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3337–दो/15 में पारित आदेश दिनांक 27.11.15 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक रिव्यु 1389–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3337–दो/15 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 27.11.15 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 1389–दो/16 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं	

उनके विद्यमान होंने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय. हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य